हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार की राज्य अल्पसंख्यक कोचिंग योजना अन्तर्गत हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग द्वारा 68वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा की आवासीय कोचिंग एवं मार्गदर्शन हेतु नामांकन कराने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशः—

1. निःशुल्क आवासीय कोचिंग कार्यक्रम में नामांकन के समय सुरक्षित राशि के रूप में 5000/— रूपये जमा करना पड़ेगा जो कोचिंग की समाप्ति के उपरांत जमाकर्त्ता को वापस कर दिया जाएगा। **कोचिंग/वर्ग संचालन दिनांक 12.01.2023 से आरम्भ करने की योजना है।**
2. **आवासीय कोचिंग कार्यक्रम हेतु चयनित पुरूष अभ्यर्थियों को निदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 11.01.2023 को अपने नामांकन हेतु कार्यालय अवधि में हज भवन, पटना आकर नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करके अपना स्थान ग्रहण कर ले।**
3. गैर—आवासीय कोचिंग कार्यक्रम हेतु चयनित पुरूष आवेदकों को भी दिनांक 11.01.2023 को कार्यालय अवधि में आकर अपना नामांकन कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के बाद नामांकन नहीं किया जाएगा।
4. नामांकन हेतु आने वाले सभी इच्छुक आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वह पूरी तैयारी से नामांकन हेतु हज भवन, पटना में आऐं। आवासीय श्रेणी में नामांकन के पश्चात घर जाने का समय नही रहेगा तथा इसकी अनुमति भी नही रहेगी।
5. कोचिंग के इच्छुक नामांकन कराने वाले आवेदकों को आवासन, कोचिंग, कुछ महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री, पुस्तकालय एवं अन्य मूलभूत सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा जबकि हज भवन के मेस में मिनू के अनुरूप तीनो समय के भोजन एवं चाय हेतु उन्हें 4500/— (चार हजार पाँच सौ) रूपये प्रतिमाह अग्रिम जमा करना पड़ेगा।
6. विषयांकित आवासीय कोचिंग सामान्यतः प्रारम्भिक परीक्षा होने तक जारी रहेगा एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित 68वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी एवं आवश्यक मार्गदर्शन केन्द्र बिन्दु रहेगा। कोचिंग हेतु नामांकन कराने वाले सभी आवेदकों के हज भवन परिसर में ही अपना आवासन रखना पड़ेगा तथा बिना समन्वयक/निर्देशक की पूर्वानुमति के परिसर छोड़ने की अनुमति नहीं रहेगी।
7. कोचिंग में पढ़ाने एवं मार्गदर्शन देने वालों की सूची मे सक्षम शिक्षकों के अतिरिक्त बड़ी संख्या मे पूर्व में सफल प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी सम्मिलित रहेंगे जो अपने अनुभवों के आधार पर मार्गदर्शन एवं पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायेंगे। आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण विषयों पर विषय वस्तु विशेषज्ञों एवं कोचिंग संस्थान के शिक्षकों की सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कोचिंग एवं मार्गदर्शन के अतिरिक्त विषयवार टेस्ट सीरीज का आयोजन भी कोचिंग कार्यक्रम का अंश रहेगा।
8. नामांकन के उपरांत कोचिंग कार्यक्रम की समाप्ति के पूर्व किसी भी आवेदक को कोचिंग कार्यक्रम छोड़ने की अनुमति नही होगी अन्यथा सुरक्षित जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

9. आवेदकों को नामांकन के समय निम्नांकित प्रमाण पत्र की **स्वअभिप्रमाणित** छाया प्रति संलग्न करना **आवश्यक** है :–

(क) मैट्रिक / 10वीं का प्रमाण पत्र (जन्मतिथि के सत्यापन हेतु)

(ख) स्नातक उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।

(ग) 67वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा का अंक पत्र की सत्यापित प्रति।

(घ) आवेदक का फोटोयुक्त परिचय पत्र की छाया प्रति (आधार कार्ड / वोटर आई0डी0 / पासपोर्ट इत्यादि)।

(ङ) यदि आवेदक आरक्षित वर्ग से है तो पिछडा वर्ग / अत्यंत पिछडा वर्ग का क्रीमीलेयररहित / जाति प्रमाण पत्र की प्रति।

10. नामांकन के उपरान्त सभी आवेदकों को हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग द्वारा हज भवन पटना में उपलब्ध कराये गये निर्धारित कमरे / हॉल में अपना आवासन रखना तथा भोजन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में पंजीकृत आवेदकों को हज भवन में भोजन बनाने अथवा बाहर भोजन करने की अनुमति नहीं रहेगी। नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को गद्दा, ताकिया, किसी प्रकार का बर्त्तन आदि लाने की आवश्यकता नही होगी परन्तु ओढ़ने हेतु कम्बल इत्यादि साथ लाऐंगे।

11. प्रवेश के समय आवेदक को फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

12. अतिरिक्त जानकारी हेतु तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने में यदि किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर दूरभाष संख्या–06122203315 एवं 9097171909 अथवा 7070810696 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

08/01/2023

समन्वयक
हज भवन कोचिंक एवं मार्गदर्शन कोषांग
एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार राज्य हज समिति, पटना।